माननीय विजेंदर जैन, सी.जे. राजीव भल्ला और सूर्यकांत, जे.जे. के समक्ष

सुभाष चंद,-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी

सी.डब्ल्यू.पी. 1991 का क्रमांक 16905.

30 मई, 2006

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226- याचिकाकर्ता की उच्चतम बोली को अस्वीकार करना—उसे चुनौती—क्या याचिकाकर्ता ने अदालत से संपर्क करने का अधिकार - निर्णय, हाँ - हर उच्चतम बोली लगाने वाले के पास है | भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226- याचिकाकर्ता की उच्चतम बोली को अस्वीकार करना—उसे चुनौती—क्या याचिकाकर्ता ने अदालत से संपर्क करने का अधिकार - निर्णय, हाँ - हर उच्चतम बोली लगाने वाले के पास है सक्षम प्राधिकारी की कार्रवाई को न्यायिक जांच के दायरे में लाने का अधिकार-राज्य के साथ उसके अधिकारों के संबंध में किसी व्यक्ति से अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुबंध में प्रवेश करना - हालांकि राज्यया इसके उपकरण किसी भी व्यक्ति के साथ अनुबंध करने के लिए स्वतंत्र हैं फिर भी वे मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकते और उन्हें व्यवसाय में प्रवेश करने की स्वतंत्रता नहीं है'कारण', निष्पक्ष खेल' और 'सार्वजनिक हित' की शर्तों के अधीन है-वचनबंधन का सिद्धांत- सरकार के विरुद्ध भी लागू ऐसे मामलों में भी जहां अनुच्छेद 299 के संदर्भ में कोई वैध अनुबंध दर्ज नहीं किया गया है]पार्टियों के बीच - सरकार के कार्य उचित होने चाहिए, निष्पक्ष और न्यायसंगत और कानून के शासन के अनुरूप - राज्य सरकारबिना कोई वैध बताए उच्चतम बोली की पुष्टि करने से इंकार नहीं किया जा सकता |

निर्णय, कि राज्य इसी प्रकार अनुबंध करने के लिए स्वतंत्र है कोई अन्य व्यक्ति; और अनुबंध अपना कानूनी परिवर्तन नहीं करेगा |चरित्र केवल इसलिए कि अनुबंध का दूसरा पक्ष राज्य है। हालांकि किसी भी नागरिक के पास राज्य को प्रवेश के लिए बाध्य करने का कानूनी अधिकार नहीं है। एक अनुबंध में, फिर भी उत्तरार्द्ध न तो किसी व्यक्ति को चुन सकता है और न ही चुन सकता है| इस तरह के समझौते में प्रवेश के लिए मनमाने ढंग से और न ही भेदभाव कर सकता है| समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के बीच। इसी प्रकार, जहा राज्य के हाथों अनुबंध का उल्लंघन मौलिक उल्लंघन है| किसी नागरिक के अधिकारों या अनुबंध में प्रवेश करने से इंकार करना इसके विपरीत है|'वैधानिक प्रावधान' या 'सार्वजनिक कर्तव्य', ऐसी न्यायिक समीक्षा राज्य कार्रवाई, अपरिहार्य है|

निर्णय, कि यदि राज्य किसी अनुबंध में प्रवेश करता है संविधान के अनुच्छेद 299 के अनुरूप, के अधिकार पार्टियों का निर्धारण ऐसे अनुबंध की शर्तों के अनुसार किया जाएगा, चाहे जो भी हो इस तथ्य का कि इसका एक पक्ष राज्य या वैधानिकअधिकार है| राज्य, व्यक्ति के साथ अनुबंध करते समय पार्टियां संविधान के अनुच्छेद 298 के तहत अपनी कार्यकारी शक्ति का इस्तेमाल करती हैं और इसका निर्णय इस आधार पर विवादित है कि यह मनमाना है | अनुच्छेद 14 का उल्लंघन और/या 'सार्वजनिक कानून' के विपरीत है। दूसरे शब्दों में,हालाँकि राज्य या उसके उपकरण इसमें प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र हैं| किसी भी व्यक्ति के साथ अनुबंध करें फिर भी वे मनमर्जी से काम नहीं कर सकते और उनका व्यवसाय आदि में प्रवेश करने की स्वतंत्रता शर्तों के'कारण', 'निष्पक्ष खेल' और 'सार्वजनिक'|

निर्णय, कि 'पोमिसोसरी एस्टॉपेल' का न्यायसंगत सिद्धांत किसी भी सरकार के विरुद्ध लागू किया गया है| अन्य निजी व्यक्ति, यहां तक कि उन मामलों में भी जहां कोई वैध अनुबंध नहीं है| पार्टियों के बीच अनुच्छेद 299 की शर्तें

दर्ज की गईं। इसलिए, यदि सरकार एक प्रतिनिधित्व या एक वादा करती है और एक व्यक्त सरकार ऐसे वादे पर कार्य करके अपनी स्थिति बदल सकती है| उस वादे को पूरा करना आवश्यक होगा और उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी| अनुबंध में औपचारिक दोष पर वापस लौटें, हालांकि व्यापक सार्वजनिक हित जैसी ज्ञात सीमाएँअच्छी तरह से अधीन है|

निर्णय, कि राज्य के पास आदेश देने की कोई प्रभुत्वशाली स्थिति नहीं है| जब यह किसी अनुबंध में प्रवेश करता है तो एकतरफा नियम और शर्तें कार्रवाई उचित, निष्पक्ष और उचित तथा इसके अनुरूप कानून का शासन। होनी चाहिए| राज्य सरकार बिना कोई वैध कारण बताए और/या दिए उच्चतम बोली अनियमित, तर्कहीन या अप्रासंगिक कारण पुष्टि करने से इनकार नहीं कर सकती|

निर्णय, जहां तक याचिकाकर्ता के अधिकार क्षेत्र का संबंध है रिट याचिका कायम रखें, प्रत्येक उच्चतम बोली लगाने वाले को हमला करने का अधिकार है|राज्य सरकार या उसके प्राधिकारियों की कार्रवाई का विरोध करके उसकी बोली मनमाने ढंग से, गैरकानूनी या विकृत तरीके से खारिज कर दी गई है| कारण, हालाँकि ऐसे मामलों में, भारी ज़िम्मेदारी होगी| याचिकाकर्ता को अपने आरोपों को राज्य की कार्रवाई के रूप में हमेशा कानून के अनुरूप माना जाएगा।

सूर्यकांत, जे.

(1) कानून के निम्नलिखित प्रश्नों का उल्लेख किया गया है

इस न्यायालय की खंडपीठ ने 7 फरवरी, 1992 के आदेश द्वारा

एक बड़ी बेंच द्वारा निर्णय के लिए:-

"(1) क्या राज्य के साथ अलग व्यवहार किया जाना चाहिए? अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग?

व्यक्ति अनुबंध में प्रवेश करने के अपने अधिकारों के लिए योग्य है अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग?

(2) भारतीय संविदा अधिनियम के प्रावधान द्वारा प्रदान किए गए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के अतिरिक्त किसी व्यक्ति के मामले में राज्य पर लागू होता ह| भारत के संविधान के अनुच्छेद 299 की रक्षा करन| नीलामी, उच्चतर की पुष्टि के अधीन है| इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से राज्य का हित नीलामी, उच्चतर की पुष्टि के अधीन है प्राधिकरण प्रस्ताव आमंत्रित करने के अलावा और कुछ नहीं है| यह केवल नीलामी की पुष्टि या स्वीकृति पर है|कि एक प्रवर्तनीय समझौता अस्तित्व में आता है?

(3) क्या कोई व्यक्ति जिसने इसके बिना केवल एक प्रस्ताव दिया है स्वीकार किए जाने के तहत कोई प्रवर्तनीय अधिकार कानून प्राप्त

(4) क्या याचिकाकर्ता, तथ्यों और परिस्थितियों में मामला विशेष रूप से बोली की अस्वीकृति का है|

(5) क्या राज्य अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बाध्य है

एक तर्कपूर्ण बोलने वाला आदेश पारित करने के लिए बाध्य है

अनुदान जैसे

(5) क्या राज्य अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बाध्य है| एक तर्कपूर्ण बोलने वाला आदेश पारित करने के लिए बाध्य है|अनुदान जैसे प्राकृतिक न्याय के सुनवाई का अवसर सिद्धांतों का पालन करें|

(6) नीलामी में उच्चतम बोली लगाने वाला व्यक्ति जिसकी बोली लगाता है, अधिकारियों ने किसी भी अधिकार को स्वीकार करने, प्राप्त करने से इंकार कर दिया?

(7) क्या सबसे ऊंची बोली लगाने वाला उक्त इनकार के किसी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है?

(8) रिट क्षेत्राधिकार क्या संविदात्मक अधिकारों का प्रयोग करते हुए लागू किया जा सकता है?

(2) इन सवालों का जिक्र करते हुए डिवीजन बेंच ने इसके पहले पूर्ण पीठ के फैसले की सत्यता पर संदेह किया|

सुरजा राम बनाम हरियाणा राज्य के मामले में न्यायालय दसरा (1) जैसा कि इसके अनुसार, पूर्ण पीठ द्वारा लिया गया| कि "उच्चतम बोली को स्वीकार न करना उसे छीनने के समान है| संपत्ति का अधिकार", शीर्ष द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत चलता है| मेसर्स बॉम्बे साल्ट एंड केमिकल इंडस्ट्रीज के मामले में कोर्टबनाम एल.जे. जॉनसन और अन्य |

(3) सन्दर्भित प्रश्नों का उत्तर देने से पहले,तथ्यों पर संक्षेप में गौर किया जा सकता है।

(4) प्लाट नंबर 3837-42/1 रकबा 210 वर्ग गज डाला गया ,प्रतिवादी एन द्वारा नीलामी के लिए प्राकृतिक न्याय के सुनवाई का अवसर सिद्धांतों का पालन करें| 3-तहसीलदार (बिक्री)-सह-प्रबंध अधिकारी, हिसार, 7 फरवरी 1991 को आरक्षित मूल्य रु. 325 प्रति वर्ग गज, कुल राशि रु. 68,250. उक्त नीलामी विस्थापित व्यक्तियों (मुआवजा) के प्रावधानों के तहत आयोजित किया गया था,और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 और 1955 के नियम बनाये गये| याचिकाकर्ता ने सबसे ऊंची बोली रुपये की दी. 71,000 और जमा कर दिए| बयाना राशि रु. उसी दिन यानी 7 तारीख को 18,000फरवरी, 1991. चूंकि नीलामी पुष्टि के अधीन थी| 1955 नियमावली के नियम 90(10) के तहत सक्षम प्राधिकारी, प्रतिवादी नंबर 3 ने मुख्य निपटान आयुक्त को मामले की सिफारिश की| याचिकाकर्ता की बोली की स्वीकृति के लिए हरियाणा (प्रतिवादी नंबर 2) औरउसके पक्ष में बिक्री की पुष्टि न होना। दूसरा प्रतिवादी,हालाँकि, - अपने आदेश दिनांक 22 जुलाई, 1991 द्वारा पुष्टि करने से इनकार कर दिया| बिक्री और इस दलील पर भूखंड की पुनः नीलामी का आदेश दिया गया कि "द आरक्षित मूल्य और उच्चतम बोली के बीच अंतर मामूली है"।

(5) व्यथित, अन्य बातों के साथ-साथ भेदभाव के आधार पर आरोप लगाना याचिकाकर्ता उपरोक्त आदेश की आलोचना करता |7 फरवरी, 1991 को ही तीसरे प्रतिवादी ने भी एक और साजिश रची क्रमांक 6837-39/4 जिसकी माप 240 वर्ग गज है, आरक्षित स्थान पर नीलामी के लिए रुपये की कीमत 325 प्रति वर्ग गज, कुल राशि रु. 78,000,जिसमें सबसे अधिक बोली 10 हजार रुपये की लगी. 80,000 यानी रु. 8.33 प्रति वर्ग गज आरक्षित मूल्य से अधिक ही प्राप्त हुआ, लेकिन बोली लगी स्वीकार कर लिया गया और उपर्युक्त के आधार पर बिक्री की पुष्टि की गई,सातवें प्रयास में कीमत प्राप्त हुई।

(6) ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने पूर्ण पीठ पर भरोसा किया है सुरजा राम के मामले (सुप्रा) पर इस न्यायालय का निर्णय सत्य है एक बड़ी बेंच का संदर्भ ,जिस पर डिवीजन बेंच ने संदेह जताया है, जिससे यह बात सामने आई है.

(7) संदर्भाधीन कानून के प्रश्नों पर हमने पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुना है

(8) सूरज राम के मामले में (सुप्रा), सेटलमेंट आयुक्त ने एक 'निकासी' की नीलामी की पुष्टि करने से इनकार कर दिया था| संपत्ति' जिसमें कृषि भूमि शामिल थी। इस बीच, समझौता अधिकारी (सेल्स) ने उच्चतम के पक्ष में हुई नीलामी को ही रद्द कर दिया| बोली लगाने वाले ने इस आधार पर कहा कि वह भूमि "शामलात देह" थी न कि कोई 'निष्कासित संपत्ति' जब निपटान अधिकारी (विक्रय) का आदेश इस न्यायालय के समक्ष हमला किया गया, हरियाणा राज्य ने मामला उठाया| प्रारंभिक आपत्ति कि चूंकि बोली स्वीकार नहीं की गई थी और निपटान आयुक्त द्वारा कभी भी नीलामी की पुष्टि नहीं की |उच्चतम बोली लगाने वाले के पास न्यायालय में जाने का कोई अधिकार नहीं था| बिक्री के नियमों के नियम 5 में निहित प्रावधानों के मद्देनजर अधिशेष* ग्रामीण संपत्तियों का, निपटान आयुक्त नहीं था| उच्चतम बोली स्वीकार न करने का कारण बताने के लिए बाध्य।

(9) हालाँकि, पूर्ण पीठ ने खंड (i) के तहत फैसला सुनाया नियमावली के नियम 5 में सेटलमेंट कमिश्नर या अन्य अधिकारी हैं| उच्चतम या किसी अन्य बोली को स्वीकार न करने और न करने का अधिकार दिया गया है|290 आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा 2007 उसके कारणों का भी "खुलासा" करें लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि समझौता आयुक्त या अन्य अधिकारी कारण बताने के लिए बाध्य नहीं हैं। अगले रमण दयाराम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण शेट्टी बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा प्राधिकरण और अन्य। (3), पूर्ण पीठ ने आगे कहा कि राज्य का हर आदेश या इसके पदाधिकारियों को "कारण" और "प्रासंगिकता" की दोहरी कसौटी पर खरा उतरना होगा,यहाँ तक कि वे कोई आपत्तिजनक आदेश भी पारित नहीं कर सकते। यह माना गया कि सक्षम प्रासंगिक कारणों को दर्ज करना नियमों के तहत प्राधिकारी का कर्तव्य है| उच्चतम या अन्य बोली को स्वीकार करने से इनकार करने के लिए, भले ही ऐसा हो,बोलीदाताओं को कारणों का खुलासा करना आवश्यक नहीं है, लेकिन आवश्यक है| न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया में न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा।

(10) प्रारंभिक आपत्ति के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा न्यायालय से संपर्क करने पर पूर्ण पीठ ने कहा कि:-"इस विवाद को आगे बढ़ाते हुए कहा गया है कि कोई भी कानूनी अधिकार उच्चतम या किसी में निहित नहीं है|अन्य बोलीदाता को किसी कार्रवाई को चुनौती देने का अधिकार दिया जा सके| उच्चतम को स्वीकार करने से इनकार करने में उपयुक्त प्राधिकारी या अन्य बोलियाँ, कानूनी रूप से मान्य नहीं हैं। पीड़ित व्यक्ति अस्वीकृति के परिणामस्वरूप संपत्ति पर किसका अधिकार है| उच्चतम बोली का, निश्चित रूप से छीना जा सकत| उपयुक्त प्राधिकारी मनमाना है या अस्तित्व में आ गया है| अनावश्यक विचारों के परिणामस्वरूप और यदि ऐसा है तो सिद्ध हो गया तो अस्वीकरण का आदेश अवश्य होगा रद्द किये जाने योग्य होगा. राज्य सरकार या उपयुक्त प्राधिकारी खुलासा करके अपनी कार्रवाई का बचाव कर सकता है,बोली स्वीकार न करने के कारण बताए गए हैं और यदि वही हैं|प्रासंगिक पाए जाने पर राहत सीधे तौर पर अस्वीकार कर दी जाएगी। लेकिन इस प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं है कि भले ही बोली स्वीकार न करने का प्राधिकारी का आदेश मनमाना है,और किसी भी कारण का खुलासा नहीं करता है, फिर की वैधता भीइसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।"

(11) मेसर्स बॉम्बे साल्ट एंड केमिकल इंडस्ट्रीज के मामले में (सुप्रा), जिस पर निर्भरता ने डिवीजन बेंच को संदेह में डाल दिया है| सुरजा राम के मामले में पूर्ण पीठ के फैसले की शुद्धता (सुप्रा),सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य ने इससे निपटा। प्रावधानों विस्थापित व्यक्तियों (मुआवजा और पुनर्वास) में शामिल (3) एआईआर 1979 एस.सी. 162 अधिनियम, 1954 और उसके तहत बनाये गये नियम। यह केवल इतना ही माना गया,क्योंकि अधिनियम की धारा 20 नीलामी द्वारा बिक्री की अनुमति देती है, लेकिन ऐसा नहीं हमेशा इसका मतलब यह होता है कि जब भी नीलामी होती है, तो वैसी ही होनी चाहिए| ' संपत्ति का हस्तांतरण होगा या नहीं,नीलामी की शर्तों पर निर्भर करेगा और बिक्री हो सकती है| नीलामी जहां बिक्री तब तक पूरी नहीं होती, उदाहरण के लिए, एक दस्तावेज़ है| निष्पादित। आगे यह भी कहा गया कि,"यह ऊपर दिए गए बिक्री के नियमों और शर्तों से स्पष्ट है| यह घोषणा कि एक व्यक्ति सबसे अधिक बोली लगाने वाला था|नीलामी में पूर्ण बिक्री नहीं होती है| उसे संपत्ति का हस्तांतरण। तथ्य यह है कि बोली है| निपटान आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाना दर्शाता है ऐसी मंजूरी तक जिसके लिए आयुक्त बाध्य नहीं है| दे दो, नीलामी-खरीदार को कोई अधिकार नहीं है। आगे यह भी प्रतीत होता है कि बोली का अनुमोदन भी निपटान आयुक्त का स्थानांतरण नहीं होता है| क्रेता के लिए संपत्ति का शेष भुगतान अभी तक नहीं किया गया है| पैसे खरीदें और नियम यह प्रावधान करते हैं कि यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है| कि उसका संपत्ति पर कोई दावा नहीं होगा। सही स्थिति यह है कि बोली के अनुमोदन पर आयुक्त, बिक्री के लिए एक बाध्यकारी अनुबंध संपत्ति की नीलामी-खरीदार के पास आती है| फिर विक्रय प्रमाणपत्र का प्रावधान होगा| इंगित करें कि इसके जारी होने पर ही संपत्ति का हस्तांतरण होगा| इस मामले में शर्त संख्या 7, इसलिए, खरीद के भुगतान पर स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है| पूरी कीमत पर स्वामित्व हस्तांतरित किया जाएगा और ए बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया गया"। (जोर हमारा)।

(12) सुरजा में पूर्ण पीठ के फैसले को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर राम के मामले (सुप्रा) में, हम पाते हैं कि उक्त निर्णय, हद तक यह सक्षम प्राधिकारी को अस्वीकृति के कारण बताने के लिए बाध्य करता है|उच्चतम या अन्य बोली की,

इस तथ्य के बावजूद कि प्रासंगिक नियमों में स्पष्ट रूप से इसकी आवश्यकता नहीं है, किसी पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त दृष्टिकोण सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टिकोण से पूरी तरह सुसंगत

(13) हालाँकि, हमारा मानना है कि जो टिप्पणियाँ की गई हैं,पूर्ण पीठ द्वारा अपने निर्णय के पैरा 9 में दूर करने के संबंध की "स्वीकृति न लेने के परिणामस्वरूप संपत्ति का अधिकार" और जो इस संदर्भ का एकमात्र कारण प्रतीत होता है, होना आवश्यक है ,स्पष्ट किया।

(14) हमारी दृष्टि में उपर्युक्त टिप्पणी सुरजा में उद्धृत है| राम का मामला (सुप्रा) लोकस स्टैंडी के संदर्भ में बनाया गया है| याचिकाकर्ता का. उच्चतम बोली, अपने आप में, जब तक कि इसे स्वीकार न कर लिया जाए| सक्षम प्राधिकारी, और परिणामी बिक्री-प्रमाणपत्र जारी किया जाता है, करता है| उच्चतम बोली लगाने वाले को उस प्रकार का "संपत्ति का अधिकार" प्रदान न करें जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 300-ए के तहत संरक्षित। हालाँकि, इसका मतलब यह भी नहीं है कि उच्चतम बोली भी स्वीकार नहीं की जाएग| सक्षम प्राधिकारी, या तो बिना कोई कारण बताए और/या पूरी तरह से मनमाने या अप्रासंगिक कारणों से, उच्चतम बोली लगाने वाला भी नहीं प्राधिकारी की कार्रवाई पर हमला करने का अधिकार प्राप्त करें।उच्चतम बोली लगाने वाला जिसके पास स्वामित्व प्राप्त करने की वैध अपेक्षा थी |संपत्ति का, जब तक कि उसकी बोली किसी भी कानूनी से ग्रस्त नहीं पाई गई| दुर्बलता को किसी के दरवाजे पर दस्तक देने का अपरिहार्य अधिकार है| संवैधानिक न्यायालय सहित उचित मंच और प्रश्न पूछना जैसे आधारों पर सक्षम प्राधिकारी के निर्णय की वैधता यह क़ानून या नियमों या संविधान के विपरीत है। दूसरे शब्दों में, उच्चतम बोली को स्वीकार करने से इनकार करने पर रोक नहीं लगाई जा सकती| उच्चतम बोली लगाने वाले को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कार्रवाई करने का अधिकार न्यायिक जांच के लिए. इस प्रकार, हमारा यह सुविचारित दृष्टिकोण है| सुरजा राम के मामले (सुप्रा) में पूर्ण पीठ की टिप्पणियाँ "संपत्ति का अधिकार" का सम्मान उच्चतम बोली लगाने वाले को प्रदान करने तक सीमित है| इनकार करने पर उपयुक्त प्राधिकारी की कार्रवाई को चुनौती देने का अधिकार उच्चतम या अन्य बोलियाँ स्वीकार करना।

(15) सुरजा राम के मामले में पूर्ण पीठ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण (सुप्रा), इसलिए, दृष्टिकोण के प्रति अपमानजनक या असंगत नहीं मेसर्स बी ओम बे साल्ट एंड केमिकल में शीर्ष न्यायालय द्वारा लिया गया उद्योगों का मामला (सुप्रा)।

(16) हमारे विचारार्थ संदर्भित प्रश्नों का उत्तर देते हुए,हम पाते हैं कि वही अब पुनः एकीकृत नहीं हैं। शायद ही हो सके| इस तथ्य से झगड़े की कोई गुंजाइश नहीं है कि राज्य इसमें प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र है| किसी अन्य व्यक्ति की तरह ही एक अनुबंध; और अनुबंध नहीं होगा| कानूनी चरित्र को केवल इसलिए बदल दें क्योंकि दूसरा पक्ष अनुबंध राज्य है. हालाँकि किसी भी नागरिक के पास इसका कानूनी अधिकार नहीं है राज्य को अनुबंध करने के लिए बाध्य करें, फिर भी राज्य ऐसा नहीं कर सकता | सुभाष चंद बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (सूर्यकांत, जे.)रिक और इस तरह के समझौते में प्रवेश करने के लिए मनमाने ढंग से किसी भी व्यक्ति को चुनें न ही यह समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के बीच भेदभाव कर सकता है। इसी प्रकार, जहां राज्य के हाथों अनुबंध का उल्लंघन होता है| किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या उसमें प्रवेश करने से इंकार करता है| अनुबंध 'वैधानिक प्रावधानों' या 'सार्वजनिक कर्तव्य' के विपरीत है| राज्य की ऐसी कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा अपरिहार्य है।

(17) इसी तरह, यदि राज्य सहमति से एक अनुबंध में प्रवेश करता है| संविधान के अनुच्छेद 299 के साथ, पार्टियों के अधिकार होंगे| इस तथ्य के बावजूद, ऐसे अनुबंध की शर्तों द्वारा निर्धारित किया जाता है| इसका एक पक्ष राज्य या वैधानिक प्राधिकरण है, (संदर्भ:- (i) अच्युतन बनाम केरल राज्य (4), (ii) लेख राज संत राम दास लालवानी बनाम एन.एम. शाह, (5); (iii) हनीफ मोहम्मद बनाम (i) अच्युतन बनाम केरल राज्य (4), (ii) लेख राज (6); (iv) उमा कांत सरन बनाम बिहार राज्य, (7) ; (v) रमाना दयाराम शेट्टी बनाम द इंटरनेशनल भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एवं अन्य (सुप्रा); (vi) मैसर्स कस्तूरी लाई लक्ष्मी रेड्डी आदि बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य और दूसरा (8); (vii) प्रभागीय वन अधिकारी बनाम बिश्वनाथ टी. कंपनी (9) ; (viii) गुजरात राज्य वित्तीय निगम बनाम लोटस होटल्स (10); (ix) बृज भूषण और अन्य बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य (11); और (x) बरेली विकास प्राधिकरण बनाम अजय पाल सिंह (12)।

(18) यह सर्वविदित है कि राज्य, प्रवेश करते समय अलग-अलग पार्टियों के साथ अनुबंध के तहत इसकी कार्यकारी शक्ति लागू होती है| संविधान के अनुच्छेद 298 और उसके निर्णय पर हमला किया जा सकता है| आधार यह है कि यह मनमाना है या अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और/या इसके विपरीत है| 'सार्वजनिक कानून' के लिए. दूसरे शब्दों में, यद्यपि राज्य या उसके साधन वे किसी भी व्यक्ति के साथ अनुबंध करने के लिए स्वतंत्र हैं, फिर भी वे कार्य नहीं कर सकते ,मनमर्जी से और व्यापार आदि में प्रवेश करने की उनकी स्वतंत्रता के अधीन है| जैसा कि देखा गया है, 'कारण' 'निष्पक्ष खेल' और 'सार्वजनिक हित' की शर्तें

(4) एआईआर 1959 एस.सी. 490

(5) एआईआर 1966 एस.सी. 334

(6) 1969 (2) एस.सी.सी. 782

(7) 1973(1) एस.सी.सी. 485

(8) एआईआर 1980 एस.सी. 1992

(9) 1981(3) एस.सी.सी. 238

(10) 1983(3) एस.सी.सी. 379

(11) (1986)2 एस.सी.सी. 354

(12) 1989(2) एस.सी.सी. 116

294 आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा 2007(2)

अनेक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा (संदर्भ:- (i) कस्तूरी लाई लक्ष्मी रेड्डी बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य (13); (ii) महाबीर ऑटो स्टोर्स बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (14); (iii) महेंद्र कुमार गुप्ता बनाम भारत संघ, (15) और (iv) कृष्णन कक्कंथ बनाम केरल सरकार, (16).

(19) इन सटीक कारणों से न्यायसंगत सिद्धां सरकार के विरूद्ध 'वचनबंधन' लागू कर दिया गया है। किसी भी अन्य निजी व्यक्ति के विरुद्ध, यहां तक कि उन मामलों में भी जहां नहीं ,अनुच्छेद 299 के संदर्भ में वैध अनुबंध के बीच प्रवेश किया गया था| दलों। इसलिए, यदि सरकार कोई अभ्यावेदन या वादा करती है| और एक व्यक्ति ऐसे वादे पर कार्य करके अपनी स्थिति बदल देता है| सरकार से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह अपना वादा पूरा करे और करेगी अनुबंध में औपचारिक दोष पर वापस आने की अनुमति नहीं दी जाएगी,हालाँकि यह व्यापक सार्वजनिक हित जैसी प्रसिद्ध सीमाओं के अधीन है। इस संबंध में माननीय द्वारा लिए गए विचारों का संदर्भ लिया जा सकता है

उच्चतम न्यायालय :—

(i) भारत संघ बनाम इंडो अफगान लिमिटेड (17);

(ii) सैंक्चुअरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड।

बनाम उल्हासनगर नगर परिषद. (iii) केसीपी लिमिटेड बनाम स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ओ

(20) इस प्रकार, राज्य के पास आदेश देने की कोई प्रमुख स्थिति नहीं है,जब यह किसी अनुबंध में प्रवेश करता है तो एकतरफा नियम और शर्तें कार्रवाई उचित, निष्पक्ष और उचित तथा इसके अनुरूप होनी चाहिए| कानून का शासन। (संदर्भ :— (i) महाबीर ऑटो स्टोर्स एवं अन्य, बनाम ऑयल कॉर्पोरेशन और अन्य (सुप्रा) और (ii) मेसर्स स्टार उद्यम और अन्य बनाम शहर और औद्योगिक विकास कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड एवं अन्य। (20). एक आवश्यक के रूप में इसके परिणामस्वरूप, यह माना जाता है कि राज्य सरकार इनकार नहीं कर सकती

(13) 1980(4) एस.सी.सी. 1

(14) 1990(3) एस.सी.सी. 752

(15) 1995(1) एस.सी.सी. 85

(16) 1997(9) एस.सी.सी. 495

(17) एआईआर 1968 एस.सी. 718

(18) एआईआर 1971 एस.सी. 1021

(19) 1995 पूरक। (3) एस.सी.सी. 466

(20) (1990)3 एस.सी.सी. 280

सुरेश पाल और अन्य बनाम पंजाब राज्य

(एच.एस. भल्ला जे.)

295

बिना कोई वैध कारण बताए उच्चतम बोली की पुष्टि करना और/ या अनियमित, तर्कहीन या अप्रासंगिक कारण बताकर।

(20) याचिकाकर्ता के आईओकस-स्टैंड को बनाए रखने के संबंध में रिट याचिका में, हम पहले ही यह मान चुके हैं कि प्रत्येक उच्चतम बोली लगाने वाले के पास राज्य सरकार या उसके अधिकारियों की कार्रवाई पर हमला करने का अधिकार यह तर्क देकर कि उनकी बोली को मनमाने ढंग से, अवैध रूप से खारिज कर दिया गया है

या विकृत कारण, हालाँकि ऐसे मामलों में, भारी ज़िम्मेदारी होगी वह याचिकाकर्ता पर राज्य कार्रवाई के रूप में अपने आरोप स्थापित करने के लिए होगा हमेशा कानून के अनुरूप माना जाएगा।

(22) हम तदनुसार संदर्भ का उत्तर देते हैं।

(23) मुख्य रिट याचिका को पहले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए,रोस्टर के अनुसार एक उपयुक्त बेंच।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित दनणणय वाि ी के सीदमत उपयोग के दिए है तादक वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और दकसी अन्य उद्देश्य के दिए इसका उपयोग नहीीं दकया जा सकता है । सभी व ्यवहाररक और आदिकाररक उद्देश्यो के दिए दनणणय का अींग्रेजी सींस्करण प्रमादणक होगा और दनष्पाि न और कायाणन्वयन के उद्देश्य के दिए उपयुक्त रहेगा ।

रेणू बाला

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

कुरुक्षेत्र